भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 95
22 नवम्बर, 2011 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानव–अंग बैंकों के लिए वित्तीय सहायता

95. श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपालाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय मानव–अंग बैंकों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में है या उसकी ऐसी कोई योजना है क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों को एक अन्य जीवनरेखा मिल पाएगी;

(ख) मंत्रालय द्वारा दिमागी रूप से मृत व्यक्ति के मानव अंगों को जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वयन करते हुए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा मानव अंग के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें संलिप्त डॉक्टरों को दिए गए कड़े दण्ड का ब्यौरा क्या है ?

उ त्त र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)

(क): जी, नहीं।

(ख): आम जनता के मध्य अंगदान करने के लिए जागरूकता सृजित करने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में 27 तथा 28 नवम्बर, 2010 को 6वां विश्व तथा प्रथम भारतीय अंग दान दिवस समारोह आयोजित किए गए थे। मानव अंगों और ऊतकों के दान के बारे में जागरूकता सृजन करने के उद्देश्य से बंगलौर तथा हैदराबाद में क्रमश: दिनांक 08.04.2011 और 27.06.2011 को दो कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

(ग): मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में मानव अंगों को निकालने और इसके अवैध व्यापार के लिए सजा के कठोर प्रावधान अंतर्निहित हैं। इसके अतिरिक्त, मानव अंग

प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 में शास्ति प्रावधानों और निषेधक सजा को और अधिक कठोर बनाया गया है।

(घ): मानव अंगों के अवैध प्रत्यारोपण की कुछ घटनाएँ भारत सरकार के ध्यान में आई है। इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में विगत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सूचना उपाबंध में दी गई है।

उपाबंध

विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध गुर्दे और अन्य अंग प्रत्यारोपण के सूचित किए गए मामलों और की गई कार्रवाई के ब्यौरे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथा प्राप्त।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित मामलों के ब्यौरे
1	राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा अधिनियम को अधिनियमित करने से अब तक 12 मामले दर्ज किए गए हैं। तथापि इन 12 मामलों में से 2 मामले करने से अब तक समाप्त कर दिए हैं।
2	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बाम्बे अस्पताल, मुम्बई के डा. एस.पी. त्रिवेदी पर धोखेबाजी, जालसाजी और मानव अंगों के अवैध व्यापार के आरोपों के लिए मुकदमा शुरू किया गया था।
3	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में कुछेक मामलों में प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों विशेष रूप से गुर्दों के विक्रय का पता चला है, जिनकी जांच इस उद्देश्य के लिए गठित की गई विशेष अन्वेषण टीम कर रही है। जांच के परिणामस्वरूप कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल नामतः राम सरन दास किशोरीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, अमृतसर का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। तथापि, राज्य में अवैध/वाणिज्यक अंग व्यापार के लिए बड़े पेमाने पर निर्धन व्यक्ति के शोषण की कोई सूचना नहीं मिली है।
4	गुडगांव, हरियाणा	सीबीआई ने गुडगांव (हरियाणा) और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से संबंधित दो मामलों को दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने आठ संदिग्ध डाक्टरों और उनके सहायकों को गिरफ्तार कर लिया है।
5	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	
6	मध्य प्रदेश	वर्ष 2008 में उज्जैन जिले में अवैध गुर्दे प्रत्यारोपण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला था। धारा-420, 467, 468, 471, 120-बी, भारतीय दंड संहिता और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अंतर्गत धारा 18,19 के अन्तर्गत थाना महाकाल में अपराध संख्या 408/27.6.08 के रूप में मामला दर्ज किया गया था। उज्जैन पुलिस ने छह व्यक्तियों की गिरफ्तार कर लिया है।
अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मानव अंगों के संबंध में किसी वाणिज्यिक लेन-देन की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।		